



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38538

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6656/2026

संतोष कुमार और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अशोक कुमार शुक्ल, रत्नेश शुक्ल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित हो तो उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील मेंहदावल, जिला संत कबीर नगर को नामांतरण वाद संख्या आरएसटी/2952/2015, संतोष बनाम बट्टी, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी-20151765032952, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के अंतर्गत, शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला काफी लंबे समय से अवर न्यायालय के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील मेंहदावल, जिला संत कबीर नगर उक्त नामांतरण वाद को विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः अवर न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर विनिश्चित करें, परंतु जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

18 फ़रवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)